न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 66/2016

अपीलांट

1. छोगसिंह पुत्र भीकाजी
2. दीपसिंह पुत्र भीकाजी
3. गुमानसिंह पुत्र केसाजी, तमाम जातियान रावणा राजपूत, निवासी कलापुरा, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. जगतसिंह पुत्र करणसिंह जी जाति राजपूत निवासी डकातरा तहसील व जिला जालोर
2. अदरीदेवी पत्नी आम्बाराम, जाति रेबारी, निवासी इन्द्रापुरी कॉलोनी तालाब के पास जालोर
3. आम्बाराम पुत्र रणछोडजी, जाति रेबारी, निवासी इन्द्रापुरी कॉलोनी तालाब के पास जालोर, तहसील व जिला जालोर।
   प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट– पूनमसिंह पुत्र भीकाजी, जाति रावणा राजपूत, कलापुरा, तहसील व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री अशोक कुमार, महबूब खान विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01
3. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 2/12/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 39/2013 बउनवान छोगसिंह बनाम जगतसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किय वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा कलापुरा तहसील जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 7 रकबा 6.65 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 25/593 रकबा 0.60 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। किन्तु कैम्प की सूचना की तामिल सभी पक्षकारान से नहीं करवाई गई। एवं न ही पक्षकार के मध्य कोई राजीमाना नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना बगैर तनकीयात कायम किये साक्ष्य सबूत लिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट व प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी व जगतसिंह वगैरह की खातेदारी के बीच पुराने जमे हुए माठ जो 60–70 वर्ष पुराने है जो आज भ कायम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा कलापुरा तहसील जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 7 रकबा 6.65 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 25/593 रकबा 0.60 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा कलापुरा तहसील जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 7 रकबा 6.65 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 25/593 रकबा 0.60 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह स्पष्ट अंकन है कि "इसी खसरा नंबरो व पक्षकारो के बीच एक वाद संख्या 45/13 जगतसिंह बनाम गुमानसिंह इस ग्राम कलापुरा का था" जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अदालत में मौजूद थे। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट जैर अपील निर्णय व डिक्री के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा उपखंड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 39/2013 बउनवान छोगसिंह बनाम जगतसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 2/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली